भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

सैन्य कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 884

29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही

884. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदीः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना अथवा अर्द्धसैनिक बलों की आवाजाही हेतु राजमार्ग पर यातायात को कई स्थानों पर कई बार रोका जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा बलों द्वारा न केवल सामान्य यातायात बल्कि एम्बुलेंसों को भी रोका जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस अपमानजनक व्यवहार, जो मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती है, को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जानें हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख): ड्रिल के रूप में जम्मू और श्रीनगर के बीच विभिन्न संक्रियात्मक और साथ ही प्रशासनिक कारणों से कॉनवॉय की नियमित आवाजाही होती रहती है। भारतीय सेना कॉनवॉय (काफिलों) की आवाजाही के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन करती है, जिसमें जनसामान्य की सुविधाजनक आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

(ग) और (घ):सुरक्षा कारणों के चलते और विगत समय में कॉनवॉय पर हुए हमलों/घात जैसी घटनाओं को रोकने के लिए, किसी भी सुरक्षा बलों के कॉनवॉय की आवाजाही से पहले रोड ओपनिंग पार्टियां भेजी जाती हैं। सेना/सीएपीएफ कॉनवॉय की आवाजाही के दौरान, विशेष रूप से

उन स्थानों पर जहां लेटरल सड़कें एनएच 44 से मिलती हैं और यू-टर्न पर यातायात को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जाता है ।

भारतीय सेना राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार की नागरिक आवाजाही में कोई बाधा नहीं डालती है या उसे रोकती नहीं है। सिविल यातायात विनियमन का चार्टर राज्य प्राधिकारियों/जम्मू और कश्मीर पुलिस का होता है । एम्बुलेंसों को आवाजाही के लिए हमेशा ही प्राथमिकता दी जाती है और सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें कहीं भी रोका नहीं जाता है।

*****